रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1986/आश्विन 9, 1908
No. 461] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 1, 1986/ASVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1121(अ).—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय तार नियम, 1986 (पांचवां संशोधन) कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951, नियम 434, खंड-1, के मद-2 की उप-मद (क) के लिए निम्नलिखित उप-मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(क) किराया अथवा अन्य शुल्क का भुगतान न करने के कारण नियोजन पर, टेलीफोन कनेक्शन अथवा किसी प्रकार के टेलीफोन संस्थापन अथवा प्लग स्विच के पुनः संयोजन का शुल्क ..... 100.00 रु."

[सं. 2-30/86-पी. एच. ए.]

पी. एस. एण्डला, उप महानिदेशक

(सी. एस.)

टिप्पणी :—

डाकतार नियम पुस्तक खंड-एक (विधायी अधिनियम भाग—दो) के प्रकाशन के पश्चात् उक्त नियमों में संशोधन करके 1 सितम्बर, 1984 तक संशोधित प्रमुख नियमों को जारी किया जा चुका है, अर्थात् :—

(1) सा. का. नि. सं. 387(ई) दिनांक 22-5-84

(2) सा. का. नि. सं. 679 दिनांक 20-6-84

(3) सा. का. नि. सं. 428 दिनांक 27-4-85

(4) सा. का. नि. सं. 729 दिनांक 03-8-85

(5) सा. का. नि. सं. 482 दिनांक 19-10-85

(6) सा. का. नि. सं. 553(ई) दिनांक 27-3-86

(7) सा. का. नि. सं. 314 दिनांक 26-4-86

(8) सा. का. नि. सं. 953(ई) दिनांक 22-7-86

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Telecommunications Board)

New Delhi, the 1st October, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1121 (E) :—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fifth Amendment) Rules, 1986,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 434, in Section I, in item 2, for sub-item (a), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(a) Reconnection fee for a telephone connection or telephone installation of any kind or a plug point, disconnected due to default of payment of rent or other dues — Rs. 100.00."

[No. 2-30|86-PHA]

P. S. ENDLAW, Dy. Director General (CS)

Note :—The principal rules after publication of P&T Manual Volume I (Legislative Enactment — Part II) corrected upto 1st September, 1984 amending the said rules have been issued, namely :—

(1) G.S.R. No. 387 (E) dated 22-5-84
(2) G.S.R. No. 679 dated 20-6-84
(3) G.S.R. No. 428 dated 27-4-85
(4) G.S.R. No. 729 dated 3-8-85
(5) G.S.R. No. 482 dated 19-10-85
(6) G.S.R. No. 553 (E) dated 27-3-86
(7) G.S.R. No. 314 dated 26-4-86
(8) G.S.R. No. 953 (E) dated 22-7-86

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986